



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-779

New Delhi: 04.08.2021

श्रीमती उषा गुप्ता
पत्नि श्री राम जी गुप्ता
अम्बेडकर नगर रूरा,
तहसील-अकबरपुर, जिला-कानपुर देहात
उत्तर प्रदेश
मोबाइल-9839451436

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 27.07.2021, जो इस कार्यालय में दिनांक 02.08.2021 को प्राप्त हुआ।

कृपया अपने उपरोक्त संदर्भित आर टी आई आवेदन का अवलोकन करें, जिसके साथ आपने 50 रु0 (10 रु0X5) का भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न कर भेजा था। जिसमे से 10 रु0 का एक भारतीय पोस्टल आर्डर (सं-51F-584441) आर टी आई शुल्क हेतु रख लिया गया है, एवं बांकी के 40 रु0 (10रु0X4) के भारतीय पोस्टल आर्डर इस पत्र के साथ मूलरूप से वापस भेजे जा रहे हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

IPO No. 51F-584447-Rs. 10

IPO No. 51F-584448-Rs. 10

IPO No. 51F-584449-Rs. 10

IPO No. 51F-584450-Rs. 10

2. साथ ही उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त बिन्दुवार सूचना संलग्न, हैं, जो आपको निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है;


सुश्री आर० पी० छिब्र

समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,

5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,

प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 05 पृष्ठ+1 नक्शा


04.08.2021

(एस. के. राय)

उप. महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

इ-मेल-skroy@dfcc.co.in

दूरभाष - 011-23454707



डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

पत्रांक: CNB/EN/RTI/16(A)/Y-21/M-8(01)

दिनांक:- 02.08.2021

सेवा में,

महाप्रबन्धक / समन्वय,
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
टुण्डला (अगरा)

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम -2005, के अर्न्तगत श्रीमती उषा गुप्ता पत्नी रामजी गुप्ता अम्बेडकर नगर
ग्राम-रूरा, तह0-अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात के द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-उप महाप्रबन्धक /एण्डमीन (पीआईओ), नई दिल्ली, का पत्र 2021/HQ/ADMIN/RTI-719 Dated 29.07.2021

महोदय,


उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत श्री रमाकान्त शुक्ला के द्वारा , जो जनसूचना अधिकारी/प्रबन्धक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 नई दिल्ली को सम्बोधित हैं, उप महाप्रबन्धक/एण्डमीन (पी0आई0ओ) नई दिल्ली के पत्र 2021/HQ/ADMIN/RTI-719 Dated 29.07.2021 के साथ इस कार्यालय में उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक /एच0आर0 /टुण्डला की ई-मेल के माध्यम से दिनांक 29.07.2021 को प्राप्त हुआ हैं। प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में प्रस्तरवार जानकारी निम्नलिखित हैं:-

कम सं०	प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना	दी गई जानकारी
1.	क्या डी0एफ0सी0सी0 द्वारा नगर पंचायत रूरा के प्रदूषित जल की निकासी हेतु पक्का नाला का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ?	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में श्री रामजी गुप्ता द्वारा ग्रीवास रिड्रेसल कमेटी कानपुर देहात की बैठक दिनांक 08.01.2020 में रूरा के नाले के मामले में उठाये गये बिन्दुओं का निस्तारण अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कानपुर देहात की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक दिनांक 05.02.2020 में किया जा चुका हैं। जिसकी कार्यवृत्त दिनांक 05.02.2020 की छायाप्रति संलग्न हैं। जिसमें स्पष्ट किया गया था कि डी0एफ0सी0सी0 द्वारा नाले का निर्माण करा दिया गया हैं। वर्तमान में निर्मित नाले के अन्दर खर-पतवार और सिल्ट इकट्ठा हैं, इस साफ करने का दायित्व नगर पंचायत का हैं।
2.	डी0एफ0सी0सी0 द्वारा उक्त प्रोजेक्ट पर कार्य कब से शुरू किया गया था?	वर्ष 2016
3.	डी0एफ0सी0सी0 द्वारा पक्के नाले का निर्माण कब तक सम्पूर्ण रूप से सम्पन्न करा लिया जायेगा।	डी0एफ0सी0सी0 द्वारा पक्के नाले का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका हैं।

4.	रुरा रेलवे कांसिंग 94बी पर निर्माणाधीन आर0ओ0बी0 के ले-आउट प्लान की प्रतिलिपि प्रदान करने का कष्ट करें।	रेलवे कांसिंग 94बी पर निर्माणाधीन आर0ओ0बी0 के ले-आउट प्लान की प्रतिलिपि संलग्न हैं।
----	--	---

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।


उप परियोजना प्रबन्धक (ईजी0)
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 / कानपुर।
08/08/2022

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद-कानपुर देहात की अध्यक्षता में गठित जिला ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी, कानपुर देहात की बैठक दिनांक-05.02.2020 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:-

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद-कानपुर देहात | - | अध्यक्ष |
| 2. जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य | - | सदस्य (अनुपस्थित) |
| 3. सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0),
कानपुर नगर। | - | सदस्य (अनुपस्थित) |
| 4. मो0 शफीक कुरैशी, एडवोकेट, तहसील-अकबरपुर,
कानपुर देहात, सिविल सोसायटी | - | सदस्य |
| 5. डी0सी0 चम्पिया, उप परियोजना प्रबंधक (सामाजिक)
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, कानपुर | - | सदस्य/सचिव |

डेडीकैटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (रेल मंत्रालय) भारत सरकार की विशेष रेल परियोजना हेतु जनपद-कानपुर देहात की अधिग्रहीत भूमि के प्रभावित भू-स्वामियों की शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात की अध्यक्षता में गठित जिला ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी, जनपद-कानपुर देहात की द्वितीय बैठक दिनांक-05.02.2020 को सायं 16.00 बजे, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निम्नलिखित समस्याओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।


1. पिछली बैठक में हुए विचार-विमर्श तथा उस पर लिये गये निर्णयानुसार कृत कार्यवाही से समिति के सदस्य/सचिव द्वारा अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। श्री मनोज कुमार सिंह पुत्र तेज सिंह, निवासी-ग्वालटोली, कानपुर नगर की शिकायत के सम्बंध में यह स्पष्ट किया गया कि गाटा सं0-40, ग्राम-कमालपुर, तहसील-डैरापुर, जनपद-कानपुर देहात की अर्जित भूमि पर निर्मित पुराने मन्दिर के बदले दूसरे स्थान पर मन्दिर का निर्माण हो चुका है। समिति को नवनिर्मित मन्दिर का फोटो दिखाया गया। फोटो के अवलोकन से समिति संतुष्ट हुयी। यह सुझाव दिया कि नवनिर्मित मन्दिर के ऊपर गुम्बद बना दिया जाये, जिससे स्पष्ट मन्दिर अवलोकित हो। समिति के सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि निर्माण ऐजेन्सी को नवनिर्मित मन्दिर पर गुम्बद बनाने का आदेश दे दिया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि उप जिलाधिकारी, डैरापुर द्वारा स्थानीय निवासियों के साथ बैठक कर नवनिर्मित मन्दिर में मूर्ति रखने का निर्णय लिया जायेगा। शिकायतकर्ता श्री मनोज कुमार सिंह पुत्र तेज सिंह बैठक में उपस्थित नहीं थे।
2. नगर पंचायत, रूरा, जनपद-कानपुर देहात ने डी0एफ0सी0सी0 द्वारा निर्मित नाली के सम्बंध में श्री रामजी गुप्ता, निवासी-नगर पंचायत, रूरा, कानपुर देहात द्वारा दिनांक-08.01.2020 की बैठक में



कतिपय बिन्दु उठाये गये थे, जिसके सम्बंध में समिति द्वारा पूर्ण स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया था। इस बैठक में स्थिति स्पष्ट की गयी कि डी0एफ0सी0सी0 द्वारा नाली का निर्माण करा दिया गया है। वर्तमान में निर्मित नाली के अन्दर खर-पतवार और सिल्ट इकट्ठा है इसे साफ करने का दायित्व नगर पंचायत का है। निर्मित नाली का फोटोग्राफ भी समिति को दिखाया गया, जिससे समिति को पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो गयी। ~~प्रकरण समाप्त माना गया~~ 28


3. श्री रमाकान्त शुक्ला, ग्राम-परजनी, तहसील-डेरापुर, जनपद-कानपुर देहात दिनांक-05.02.2020 की बैठक में उपस्थित थे। समिति के समक्ष उन्होंने पूर्व में प्रेषित पत्रों को दिखाया और अपनी समस्याओं के सम्बंध में अवगत कराया। समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण की अद्यतन जांच कराकर मुझे पूर्ण स्थिति से एक सप्ताह में अवगत कराया जाये।
4. जिला ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी की इस बैठक में ग्राम-कमालपुर, तहसील-डेरापुर, जनपद-कानपुर देहात के प्रभावित दो भू-स्वामी श्री अनिरुद्ध सिंह पुत्र जगम्नन सिंह तथा श्री यदुवीर सिंह भी उपस्थित हुए थे, जिनके द्वारा समिति के समक्ष अपनी समस्याओं/शिकायतों को रखा गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:-


1. श्री अनिरुद्ध सिंह ने यह अवगत कराया कि उनकी भूमि परियोजना में प्रभावित है, जिसका प्रतिकर उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिकर का निर्धारण बहुत कम किया गया है। इनकी शिकायत के सम्बंध में डी0एफ0सी0सी0 के अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि श्री अनिरुद्ध सिंह पुत्र जगम्नन सिंह की भूमि सीधी खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत क्रय किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है। इनकी भूमि व मकान गाटा सं0-39 में प्रभावित है, जिसका मूल्यांकन अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कानपुर देहात की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निर्धारित किया गया है। श्री अनिरुद्ध सिंह तथा इनके भाई श्री यदुनाथ सिंह पुत्रगण जगम्नन सिंह द्वारा सीधी खरीद प्रक्रिया के सम्बंध में अपनी सहमति डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 को दे दी गयी है, किन्तु इनके द्वारा निर्धारित धनराशि प्राप्त नहीं किया जा रहा है। समिति द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि भू-स्वामी को कमेटी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्राप्त करने में सहमत नहीं है तो वे मा0 आयुक्त महोदय के समक्ष अपना अनुरोध कर सकते हैं। उनके आदेश के उपरांत ही निर्धारित प्रतिकर में नियमानुसार वृद्धि सम्भव हो सकती है।
2. श्री यदुवीर सिंह ने यह अवगत कराया कि उनका मकान गाटा सं0-40 में प्रभावित था, जिस पर निर्मित उनके मकान के प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है, किन्तु भूमि का प्रतिकर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बंध में डी0एफ0सी0सी0 के अधिकारी




द्वारा यह अवगत कराया गया कि ग्राम समाज की भूमि पर इनका मकान निर्मित था, जिसका प्रतिकर मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकित कराकर भुगतान किया जा चुका है तथा नियमानुसार सहायता राशि का भी भुगतान किया जा चुका है। भूमि ग्राम समाज की होने के कारण इस भूमि का पुनर्ग्रहण करके डी०एफ०सी०सी० द्वारा भूमि अधिग्रहीत की गयी है। श्री युदवीर सिंह को इनके कब्जे की भूमि के बदले गाटा सं०-730क में भवन निर्माण हेतु भूमि तहसील द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिस पर वे कब्जा प्राप्त करने हेतु तहसील से सम्पर्क कर सकते हैं। समिति ने श्री युदवीर सिंह को तहसीलदार से इस सम्बंध में सम्पर्क करने हेतु परामर्श दिया गया है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(डी०सी० चम्पिया)
उप परियोजना प्रबन्धक,
डीएफ०सी०सी०आई०एल, कानपुर
(सदस्य/सचिव)


(मो० शफीक कुरैशी)
एडवोकेट, तहसील-अकबरपुर,
सिविल सोसायटी, कानपुर देहात
(सदस्य)


(पंकज वर्मा)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
कानपुर देहात
(अध्यक्ष)

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन), कानपुर देहात।
2. जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य।
3. सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू०अ०), कानपुर नगर।
4. मो० शफीक कुरैशी, एडवोकेट, तहसील-अकबरपुर, कानपुर देहात, सिविल सोसायटी
5. श्री डी०सी० चम्पिया, उप परियोजना प्रबन्धक, डी०एफ०सी०सी०, कानपुर।